संख्या–3ए–3–भत्ता–01 / 2017–.. / वि०

बिहार सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांकः–..................

विषयः– राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता के वर्त्तमान दर में संशोधन के सम्बन्ध में।

राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8043, दिनांक–11 / 10 / 2017 की कंडिका–3(A) द्वारा मकान किराया भत्ता की दर को पुनरीक्षित किया गया है।

2. राज्य वेतन आयोग द्वारा यह भी अनुशंसा की गई है कि पुनरीक्षित वेतनसंरचना में महँगाई भत्ता की दर 50% होने की स्थिति में 'Y' श्रेणी के शहर, 'Z' श्रेणी के शहर, अवर्गीकृत शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए मकान किराया भत्ता की दर मूलवेतन का क्रमशः 20%, 10%, 7.5% एवं 5% देय होगा तथा बिहार भवन, नई दिल्ली ('X' श्रेणी के शहर) में पदस्थापित राज्य कर्मियों के लिए 30% मकान किराया भत्ता देय होगा।

3. वित्त विभागीय संकल्प संख्या–2891, दिनांक–15 / 03 / 2024 द्वारा दिनांक–01 / 01 / 2024 के प्रभाव से 50% की दर से महँगाई भत्ता स्वीकृति के उपरान्त राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुरूप राज्य कर्मियों के मकान किराया भत्ता की दर को संशोधित किये जाने का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

4. **सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् निर्णय लिया जाता है–**

(i) वित्त विभागीय संकल्प संख्या–8043, दिनांक–11 / 10 / 2017 द्वारा स्वीकृत मकान किराया भत्ता की दर को निम्नवत् संशोधित करने की स्वीकृति दी जाती है :–

वर्ग	**शहर का नाम**	**मकान किराया भत्ता की दर**
Y	पटना (यू० ए०)	मूल वेतन का 20%
Z	अररिया, आरा, औरंगाबाद, बगहा, बेगुसराय (यू०ए०), बेतिया, भागलपुर (यू०ए०), बिहार शरीफ, बक्सर, छपरा, दरभंगा, डिहरी, गया (यू०ए०), गोपालगंज, हाजीपुर, जमालपुर, जमुई, जहानाबाद, कटिहार (यू०ए०), किशनगंज, लखीसराय, मधुबनी, मोकामा,	मूल वेतन का 10%

	मोतिहारी (यू०ए०), मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णियाँ (यू०ए०), सहरसा, समस्तीपुर, सासाराम, सीतामढ़ी (यू०ए०), सीवान, सुपौल।	
अवर्गीकृत शहर	....	मूल वेतन का 7.5%
ग्रामीण क्षेत्र	....	मूल वेतन का 5%

(ii) 'X' श्रेणी के शहर यथा दिल्ली/मुम्बई में पदस्थापित राज्य कर्मियों को 30% की दर से मकान किराया भत्ता अनुमान्य होगा।

(iii) मकान किराया भत्ता की उक्त संशोधित दर दिनांक– 01/01/2024 से प्रभावी होगा।

आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह0/–

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।

ज्ञापांकः–3ए–3–भत्ता–01/2017 –6485/**वि०** पटना, दिनांकः–18/06/2024

प्रतिलिपिः–महालेखाकार (ले० एवं हक०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

18/6/2024

(लोकेश कुमार सिंह)
सचिव (संसाधन), वित्त विभाग ।